हिन्दी में काम काज करने के लिये प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाएं "

1. रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता -

इस प्रतियोगिता में वे सभी रेल अधिकारी /कर्मचारी भाग ले सकते हैं जिन्होंने तीन महीने की रेल सेवा पूरी कर ली हो । निबंध लेखन के लिए मंत्रालय द्वारा विषय निर्धारित किए जाते हैं। इसके लिए दो प्रथम पुरस्कार रु. 6,000/-प्रत्येक (राजपत्रित और अराजपत्रित वर्ग के लिए) और दो द्वितीय पुरस्कार रु. 4,000/-(राजपत्रित और अराजपत्रित वर्ग के लिए) का प्रावधान है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष आयोजित वार्षिक रेल सप्ताह समारोह के दौरान वितरित किए जाते हैं।

2. तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन पुस्तकों के लिए लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना -

रेलों से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूलरूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की यह योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीन नकद पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है -

प्रथम पुरस्कार	(एक) -	रु. 20,000/-
द्वितीय पुरसकार	(एक) -	रु . 10,000/-
तृतीय पुरस्कार	(एक) -	रु . 7,000/-

3. हिन्दी में कथा/ कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन पर प्रेमचन्द पुरस्कार योजना :

रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय की हिंदी में कथा/कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन पर प्रेमचंद पुरस्कार योजना लागू है । सर्वश्रेष्ठ कथा कहानी संग्रह एवं उपन्यास विधा पर पुस्तक लिखने के लिए रचयिता को निम्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं-

प्रथम पुरस्कार	(एक)	रु. 20,000/-
द्वितीय पुरसकार	(एक) -	रु . 10,000/-
तृतीय पुरस्कार	(एक) -	रु . 7,000/-

4. हिंदी में काव्य/गजल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना –

रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय की हिंदी में काव्य पुस्तक लेखन पर मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना लागू है। सर्वश्रेष्ठ काव्य / गज़ल संग्रह पर पुरस्तक लिखने के लिए रचयिता को निम्न पुरस्कार प्रदान किए जाते है ।

प्रथम पुरस्कार	(एक)	रु. 20,000/-
द्वितीय पुरस्कार	(एक) -	रु. 10,000/-
तृतीय पुरस्कार	(एक) -	रु . 7,000/-

5. हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंद्रिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना -

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए यह योजना चलाई जा रही है । इस योजना के अंतर्गत वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखन की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं। पुस्तक की विषय वस्तु केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संगठानों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/ किए जा रहे कार्यों से संबंधित हो। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कारों का प्रावधान है -

प्रथम पुरस्कार	:	रु. 60,000/-
द्वितीय पुरस्कार	:	रु. 45,000/-
तृतीय पुरस्कार	:	रु. 30,000/-
प्रोत्साहन पुरस्कार	:	रु. 15,000/-

6. रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना :

रेल कार्मियों सहित जनसाधारण के रेल यात्रा संबंधी अनुभव प्राप्त करने और उन अनुभवों के आधार पर रेलों द्वारा अपनी छवि को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय की रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष हिंदी में लिखित सर्वोत्तम प्रथम तीन वृतान्तों के विजेताओं को निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है :

प्रथम पुरस्कार	:	(एक)	रु. 10,000/-
द्वितीय पुरस्कार	:	(एक)	रु. 8,000/-
तृतीय पुरस्कार	:	(एक)	रु. 6,000/-
प्रेरणा पुरस्कार	:	(पांच)	रु. 4,000/-

7. <u>रेलों पर सामूहिक रूप से हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना :</u>

रेलों पर सामूहिक रूप से हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय / विभाग को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए निम्नानुसार पुरस्कार देने का प्रावधान है :

प्रथम पुरस्कार रु. 12,000/- (6 कर्मचारियों को रु. 2000/- प्रत्येक)
द्वितीय पुरस्कार रु. 8,000/- (5 कर्मचारियों को रु. 1600/- प्रत्येक)
तृतीय पुरसकार रु. 6,000/- (5 कर्मचारियों को रु. 1200/- प्रत्येक)

8. <u>रेल अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध, वाक् और टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं :</u>

रेल कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग–प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा कर्मचारियों में हिंदी में काम करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष हिंदी निबंध, वाक् और टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते है:

पुरस्कार	**हिंदी निबंध प्रतियोगिता**	**हिंदी वाक् प्रतियोगिता**	**टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता**
प्रथम (एक)	2,000/- रु.	2,000/- रु.	2,000/- रु.
द्वितीय (एक)	1,600/- रु.	1,600/- रु.	1,600/- रु.
तृतीय (एक)	1,200/- रु.	1,200/- रु.	1,200/- रु.
प्रेरणा (तीन)	800/- रु.	800/- रु.	800/- रु.

9. <u>अधिकारियों को हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार योजना -</u>

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार क्षेत्रीय रेलों के विभागों तथा मंडलों / कारखानों के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकारियों को हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की उपर्युक्त योजना लागू है । इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक रेल कार्यालय के एक हिंदी भाषी (जिसका घोषित निवास ‘क’ और ‘ख ’ क्षेत्र हो) और एक अहिंदी भाषी (जिसका घोषित निवास ‘ ग ’) क्षेत्र हो) रेल अधिकारी को 5000-5000/-रु. का नकद पुरस्कार देने की व्यवस्था है। हिंदी भाषी अधिकारी के लिए न्यूनतम सीमा 20 हजार शब्द प्रतिवर्ष और अहिंदी भाषी अधिकारी के लिए 10 हजार शब्द प्रति वर्ष की न्यूनतम सीमा है।

10. सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना :

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक एवं प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक रेलवे/ उत्पादन कारखाने के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को 3000/ - 3000/- रु. के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।

11. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता देना :

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता देने की योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टाइपिंग/ आशुलिपि का कार्य करने वाले कर्मचारी को क्रमश: रु. 160/- व रु. 240/- हिंदी प्रोत्साहन भत्ता प्रति माह की दर से देय है ।

12 **केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिये राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना :-**

प्रथम पुरस्कार	-	रु 1,00,000/-
द्वितीय पुरस्कार		रु 75,000/-
तृतीय पुरस्कार		रु 60,000/-
प्रोत्साहन पुरस्कार		रु 30,000/-

उक्त पुरस्कार योजना में सभी पुरस्कारों के साथ प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न भी दिए जाते हैं।

13. भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार :-

प्रथम पुरस्कार	-	रु 2,00,000/-
द्वितीय पुरस्कार		रु 1,25,000/-
तृतीय पुरस्कार		रु 75,000/-
प्रोत्साहन पुरस्कार (10 पुरस्कार)		रु 10,000/-

उक्त पुरस्कारों के साथ प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न भी प्रदान किए जाते है।